उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या :-उ.प.रे./प्र.का/सरंक्षा बुलेटिन **दिनांक:- 16.04.2025**

मंडल रेल प्रबंधक :-अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

विषय :-मासिक संरक्षा बुलेटिन मार्च, 2025

प्रधान कार्यालय के सरंक्षा विभाग द्वारा गाड़ी संचालन में कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह का मासिक संरक्षा बुलेटिन जारी किया जाता है। इसी सम्बन्ध में माह मार्च, 2025 के मासिक संरक्षा बुलेटिन को इस पत्र के साथ सलंगन करके भेजा जा रहा है। कृपया अपने मंडल के सभी कार्यस्थलों पर इसे भिजवाएं जिससे अधिकाधिक गाड़ी संचालन कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।

सलंगन :- यथोक्त ।

16/04/25
(देवानन्द यादव)
उप.मु.सरंक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1.प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
4. वरि. मंडल सरंक्षा अधिकारी - अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर।

"मासिक सरंक्षा बुलेटिन माह मार्च, 2025"

उत्तर पश्चिम रेलवे पर कार्यरत रेल संचालन से जुड़े सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 5.01 की अनुपालना कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

5.01. कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी.–

(1) **स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर या स्टेशन की सीमा के अन्दर उसके आदेशों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित कर्मचारियों के सुपुर्द कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए, जिम्मेदार होगा और ऐसे कर्मचारी स्टेशन के कार्यचालन के लिए स्टेशन मास्टर के प्राधिकार और निर्देशों के अधीन होंगे।**

(2) **स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि सब सिगनल, कांटे समपार (लेवल क्रासिंग) के फाटक और उसके स्टेशन की पूरी व्यवस्था ठीक चालू हालत में है और उसमें जो भी खराबियॉ हैं उनकी रिपोर्ट, वह उपयुक्त प्राधिकारी को तुरन्त देगा।**

(3) **स्टेशन मास्टर यह देखने के लिए भी जिम्मेदार है कि स्टेशन का कार्यचालन उस समय प्रवृत नियमों और विनियमों के पूर्णतः अनुसार किया जा रहा है।**

(4) **स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति लाइन क्लियर न तो मॉगेगा और न देगा, और न ही प्रस्थान प्राधिकार देगा।**

स.नि.5.01(1) स्टेशन मास्टर इंचार्ज प्रतिदिन अपने स्टेशन का निरीक्षण करेगा और अन्य बातों के साथ–साथ, यह भी जांच करेगा कि वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारियेां की वर्दी साफ है और सिगनल बत्तियाँ, झंडियां तथा स्टेशन के अन्य उपकरण सही हालत में हैं। इसके अतिरिक्त, जब कभी कोई कर्मचारी स्टेशन पर बदली पर आता है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी यह स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि ऐसे कर्मचारी स्टेशन के संचालन से संबंधित सारे नियमों को समझते हैं। प्रत्येक साक्षर ;(पढ़ा लिखा) कर्मचारी स्टेशन मास्टर को इस आशय की लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने ऐसे नियमों को पढ़ और समझ लिया है।

स.नि.5.01(2) कोई भी स्टेशन कर्मचारी, विशेष रूप से जब, कांटे और सिगनल या शंटिंग उसके चार्ज में हों, तब अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा कार्यमुक्त नहीं कर दिया जाता तथा स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना नहीं दे दी जाती और उसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती। यदि किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर दिया जाता है तो कांटे वाले और सिगनल मैन तब तक ड्यूटी पर रहेंगे जब तक कि उस गाड़ी को नहीं ले लिया जाता और आगमन अनुमति देने की शर्ते बहाल कर दी गई हैं।

1. **संरक्षा अभियान/संरक्षा प्रचार-**

- संरक्षा परिपत्र सं. 03/2025 "स्टेशन से पास होने वाली गाड़ियो के पीछे टेल बोर्ड या टेल लैम्प से संबन्धित स्टेशन मास्टर की ज़िम्मेदारी" के विषय पर जारी किया गया ।
- विशेष संरक्षा अभियान सं. 05/2025 दिनांक 03.03.2025 से 02.04.2025 तक "भारतीय रेलवे के सभी पॉइंट और क्रॉसिंग का निरीक्षण" के विषय पर चलाया गया।
- विशेष संरक्षा अभियान सं. 06/2025 दिनांक 11.03.2025 से 17.03.2025 तक " स्थिर रोलिंग स्टॉक को सुरक्षित करना" के विषय पर चलाया गया।

(संख्या -उपरे/प्रका/सरंक्षा/मासिक सरंक्षा बुलेटिन दि: 16.04.2025)

16/04/25

(देवानन्द यादव)
उप.मु.सरंक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1. प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. वरि. मंडल सरंक्षा अधिकारी - अजमेर , बीकानेर , जयपुर , जोधपुर।